7/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अप्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय उभय पक्ष द्वारा चाहे जाने पर दिया जा कर दिनांक 13-3-18 को पेश हो। SDO
13/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं भाई, बहन, माता की ग्राम सवगढ़ पटवार क्षेत्र सवगढ़ त० डूंगरपुर में खाता सं. 48 नई 41 पुरानी खसरा नं. 2934/1275 रकबा । बीघा 4 बिस्वा सहखातेदारी भूमि स्थित हैं जो प्रार्थी के पिता को सन् 1970-71 मे आवंटित हुई थी। उक्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय मे एक वाद जेरकार है, खातेदार होने के कारण वाद मे प्राथमिक रूप से सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार उक्त भूमि पर काबिज होकर उपभोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देता है एवं काश्त करने से रोकता है। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे अन्यथा अपूरणीय क्षति होगी। वकील अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि वादी/प्रार्थी की आयाजिशात से प्रतिवादी/अप्रार्थी

का कोई सम्बन्ध नही है। अकारण ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

[illegible] को नाजायज परेशान किया जा रहा है। प्रार्थी की खातेदारी

भूमि कहां स्थित है इसकी जानकारी न तो वादी/प्रार्थी को है न ही

[illegible]। अप्रार्थी को [illegible] बेदखल करने की बात सरासर गलत है।

मैंने प्रार्थना पत्र, जवाब एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज का

अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी एव वकील अप्रार्थी की बहस

पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न ग्राम सवगढ़ की जमाबन्दी

सम्वत् 2071-2074 की छाया प्रति के अनुसार खाता नं. 48 नई

41 पुरानी खसरा नं. 2934/1275 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के प्रार्थी

एवं उसके भाई, बहन, माता सहखातेदार है। वकील अप्रार्थी के

अनुसार प्रार्थी की आराजियात से अप्रार्थी का कोई संबन्ध नही

है। ऐसी स्थिति में वाद ग्रस्त आराजी के बाबत् अस्थाई

निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझता हूं।

अत: आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के फैसला होने तक

ग्राम सवगढ़ के खाता नं. 48 नई 41 पुरानी खसरा नं. 2934/1275

रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी प्रार्थी एवं उसके सह

खातेदार को बेदखल नही करे, काश्त करने, फसल बोने, काटने

से नही रोके, नही किसी प्रकार का ~~नुकसान~~ नुकसान पहुंचावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(हस्ताक्षर)
SDO